REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052025-263156 CG-DL-E-16052025-263156

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2025/वैशाख 26, 1947
No. 273]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2025/VAISAKHA 26, 1947

संचार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2025

सा.का.नि. 316(अ) - निम्नलिखित मसौदा नियम जिसे केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और (ज) के साथ पठित धारा 3(3) और 4(6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्दारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है; केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों को लोअर 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में रेडियो लोकल एरिया नेटवर्क सहित लो पावर और वेरी लो पावर वाले बेतार अभिगम प्रणाली का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुप्रयोग - ये नियम 5925-6425 मेगाहर्ट्ज बैंड में लागू होंगे।

3. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(ग) "एक्सेस प्वाइंट" से वैसा ट्रांसीवर अभिप्रेत है जो या तो पीयर-टू-पीयर कनेक्शन में ब्रिज के रूप में या नेटवर्क के वायर्ड और वायरलेस सेगमेंटों के बीच कनेक्टर के रूप में कार्य करता है;

(घ) "समतुल्य आइसोट्रोपिक विकिरणित पावर " या "ई.आई.आर.पी " से कुल शक्ति जिसे एंटीना के स्ट्रॉनगेस्ट बीम की दिशा में वास्तविक स्रोत के समान सिग्नल शक्ति देने के लिए एक काल्पनिक आइसोट्रोपिक एंटीना द्वारा विकिरणित करना अभिप्रेत है;

(ङ) "उत्सर्जन बैंडविड्थ" से मॉड्यूलेटेड कैरियर के अधिकतम स्तर के सापेक्ष मापा गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल का 26 डीबी बैंडविड्थ अभिप्रेत है;

(च) "अधिकतम पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी" से डिवाइस ऑपरेटिंग बैंड में विनिर्दिष्ट माप बैंडविड्थ के भीतर अधिकतम पावर अभिप्रेत है; 5925-6425 मेगाहर्ट्ज बैंड में माप 1 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ पर लिया जाता है;

(छ) "पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी" से एक पल्स या पल्स के अनुक्रम से प्रति यूनिट बैंडविड्थ कुल ऊर्जा उत्पादन है जिसके लिए पारेषित शक्ति अपने अधिकतम स्तर पर है और जिसे पल्स की कुल अवधि से विभाजित किया गया है तथा कुल समय में पल्स के बीच का समय शामिल नहीं है जिसके दौरान पारेषित पावर बंद या उसके अधिकतम स्तर से नीचे होना अभिप्रेत है;

(ज) "डिवाइस" से आवृत्ति बैंड 5925-6425 मेगाहर्ट्ज में कार्य करने वाले रेडिएटर्स अभिप्रेत हैं जो वाइडबैंड डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीकों का उपयोग करते हैं और व्यक्तियों, व्यवसायों और संस्थाओं के लिए मोबाइल और फिक्सड संचार में उच्च डेटा दर की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं;

(झ) "इंडोर ऑपरेशन" से अभिप्रेत है कि ट्रांसमीटर ऐसे परिसर के अंदर स्थित है जो वैसे दीवारों से घिरा हुआ है जो दरवाजे, खिड़कियां या गलियारों को छोड़कर रेडियो तरंगों के लिए अपारदर्शी हो तथा उस परिसर में वैसी सिलिंग या छत हो जो रेडियो तरंगों के लिए अपारदर्शी हो;

(2) उन शब्दों और पदों जिनका उपयोग इन नियमों में किया गया है और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है। 4. छूट – आवृत्ति बैंड 5925-6425 मेगाहर्ट्ज में गैर-अंतरावरोधन, गैर-संरक्षण और साझा (गैर-अनन्य) आधार पर संचालित रेडियो लोकल एरिया नेटवर्क सहित लोअर पावर इंडोर और वेरी लो पावर आउटडोर वायरलेस एक्सेस सिस्टम के प्रयोजन के लिए किसी भी वायरलेस उपकरण को स्थापित करने, बनाए रखने, कार्य करने, रखने या सौदा करने के लिए किसी प्राधिकार या आवृत्ति समनुदेशन की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते वे निम्नलिखित तकनीकी मापदंडों का अनुपालन करें; अर्थात्:

<u>सारणी</u>

लोवर पावर इंडोर और वेरी लो पावर आउटडोर डब्ल्यूएएस/आरएलएएन एक्सेस पॉइंट और डिवाइस

प्रकार	इन-बैंड उत्सर्जन के लिए अधिकतम पीएसडी ई.आई.आर.पी			आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन (अधिकतम ई.आई.आर.पी डेन्सिटी)
लो पावर इंडोर	5 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	30 डीबीएम	320 मेगाहर्ट्ज	-27 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज
वेरी लो पावर आउटडोर	-5 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	14 डीबीएम	320 मेगाहर्ट्ज	-27 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज

4.1 परिचालन प्रतिबंध:

- (i) ऑयल संबंधी प्लेटफार्मों पर सभी प्रकार का उपयोग निषिद्ध हैं।
- (ii) भूमि वाहनों (जैसे कार, ट्रेन) और नाव, विमान पर इनडोर उपयोग निषिद्ध है सिवाय इसके कि जब वे 10,000 फीट से ऊपर उड़ान भर रहे हों।
- (iii) ड्रोन तथा मानवरहित हवाई प्रणालियों के साथ संचार और नियंत्रण निषिद्ध है।

5. आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन सीमा -

(1) 5.925-6.425 गीगाहर्ट्ज बैंड के भीतर कार्य करने वाले ट्रांसमीटरों के लिए: 5.925-6.425 गीगाहर्ट्ज बैंड के बाहर कोई भी उत्सर्जन -27 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज के ई.आई.आर.पी से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) 5.925-6.425 गीगाहर्ट्ज बैंड के भीतर कार्य करने वाले ट्रांसमीटरों के लिए: पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी को चैनल एज के बाहर 1 मेगाहर्ट्ज पर 20 डीबी तक, चैनल केंद्र से एक चैनल बैंडविड्थ पर 28 डीबी तक, और चैनल केंद्र से चैनल बैंडविड्थ

से डेढ़ गुना चैनल बैंडविड्थ पर 40 डीबी तक कम किया जाना चाहिए। किसी लाइसेंसरहित डिवाइस के चैनल एज के बाहर एक मेगाहर्ट्ज़ और चैनल के केंद्र से एक चैनल बैंडविड्थ के बीच आवृत्तियों पर सीमाओं को 20 डीबी और 28 डीबी सप्रेशन के बीच लिनियर रूप से इंटरपोलेट किया जाना चाहिए और एक से डेढ़ गुना के बीच की आवृत्तियों पर किसी लाइसेंसरहित डिवाइस के चैनल बैंडविड्थ पर सीमाओं को 28 डीबी और 40 डीबी सप्रेशन के बीच लिनियर रूप से इंटरपोलेट किया जाना चाहिए। चैनल बैंडविड्थ के एक से डेढ़ गुना से अधिक चैनल केंद्र से हटाए गए उत्सर्जन को कम से कम 40 डीबी द्वारा सप्रेस किया जाना चाहिए। (3) उत्सर्जन माप 1 मेगाहर्ट्ज के न्यूनतम रिज़ॉल्यूशन बैंडविड्थ का उपयोग करके लिया जाएगा। एक लोवर रिज़ॉल्यूशन बैंडविड्थ को बैंड एज के पास ,जब आवश्यक हो, नियोजित किया जा सकता है बशर्ते मापी गई ऊर्जा को 1 मेगाहर्ट्ज से अधिक कुल पावर दर्शाने के लिए एकीकृत किया जाए।

(4) उत्सर्जन सीमा मापते समय नाममात्र कैरियर आवृत्ति को ऊपरी और निचले आवृत्ति बैंड एज के पास समायोजित किया जाएगा क्योंकि उपस्कर को इसी प्रकार डिज़ाइन किया गया है।

6. अंतरावरोधन- (1) रेडियो संचार प्रणाली में रिसेप्शन पर उत्सर्जन, विकिरण या प्रेरण में से किसी एक या इनके संयोजन के कारण अवांछित ऊर्जा के प्रभाव से यदि किसी भी निष्पादन में गिरावट आती है, गलत व्याख्या निकलती है, या जानकारी की हानि होती है, जिसे ऐसी अवांछित ऊर्जा की अनुपस्थिति में हासिल किया जा सकता था और कोई भी व्यक्ति जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) या भारतीय तार अधिनियम,1885 (1885 का 13) के तहत प्राप्त अनुज्ञप्ति के अनुसार तथा अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (6) के अनुसार वैध कार्य कर रहा हो, प्राधिकारी को यह सूचित करता है कि उनकी अनुज्ञप्ति-प्राप्त प्रणाली को किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से, जिन्हें इन नियमों के तहत छूट प्राप्त है, से हानिकारक अंतरावरोधन हो रहा है, तब प्राधिकारी ऐसे अन्य रेडियो संचार प्रणाली के उपयोगकर्ता से बात करेगा और उसे उपस्कर का पुनर्स्थापन करके, पावर को कम करके तथा एंटीना के विशेष प्रकारों का उपयोग करके अंतरावरोधन को दूर करने के लिए निदेश देगा और इनका अनुपालन नहीं करने पर प्राधिकारी ऐसे बेतार उपयोग को निरस्त करने की सिफ़ारिश करेगा।

(2) प्राधिकारी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन बेतार प्रयोग को बंद करने की सिफारिश करने से पहले बेतार उपस्कर के प्रयोक्ता को युक्तियुक्त अवसर देगा।

7. उपस्कर - (1) बेतार उपस्कर में अंतर्निहित और एकीकृत एंटीना होगा और इसे इस तरह से प्रकार अनुमोदित, डिजाइन तथा तैयार किया जाए कि उत्सर्जन बैंडविड्थ और अन्य मापदंड नियम 4 और 5 में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप हों। उपस्कर प्रकार अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन उपाबंध में दिए गए प्रारूप में केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

(2) सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएँ संबंधित डिवाइसों और आवृत्ति बैंड के लिए आईटीयू/ ईटीएसआई /एएनएसआई/ बीआईएस/आईसी एनआईआरपी जैसे अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगी।

[फा.सं. 24-04/2025-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

<u>उपाबंध</u>

<u>उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन</u> [नियम 7 का उप-नियम (1) देखें]

:

<u>भाग-क-आवेदक</u>

- उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अधिकरण का नाम
- 2. विनिर्माता अभिकरण का डाक पता
- प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय : अभिकरण का नाम और पता
- 4. उत्पाद का नाम उत्पाद पहचान (मॉडल सं. आदि)

<u>भाग-ख-पारेषक का वर्णन</u>

5.	आवृत्ति रेंज		
6.	प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की सं.		
7.	वॉयस/डाटा/टीवी चैनलों की सं.		
1.	(मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)		•
8.	टीएक्स:आरएक्स चैनल पृथक्करण		
0.	(डुप्लैक्स/मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)		•
9.	` ^S समीपवर्ती चैनल पृथक्करण (मल्टीचैनल उपस्कर		:
	की दशा में)		
10	आवृत्ति स्थायित्व	:	
	- . कूट/सन्नादी विकरण		:
	(i) कैरियर सप्रेशन (कैरियर सप्रैस्ड तंत्र की दशा में)	:	
	(ii) आवांछत साइड बैंड सप्रेशन		:
	(एसएसबी तंत्र की दशा में)		
	(iii) द्वितीय सन्नादी विकरण		:
	(iv) तृतीय सन्नादी विकरण		:
12	. अधिकतम आवृत्ति विचलन		:
13	. उत्सर्जन की रीति	:	
14	. उत्सर्जन की बैंडविड्थ		:
15	. परीक्षण टोन विचलन		:
16	. आधार बैंड आवृत्ति		:
	(मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)		:
17	. अपेक्षित मॉडयूलेशन का प्रकार		:
18	. पूर्व जोर		:
19	. विद्युत आउटपुट		:
	(एंटीना के इनपुट पर)		
20	. कोई अन्य जानकारी		:
	<u>ग-ग-प्रापकों के विवरण</u>		
	. आवृत्ति रेंज		
	. प्राप्ति की रीति		:
	. प्राप्ति की कूट प्रतिक्रिया		:
	. संवेदनशीलता		:
	. आवृत्ति स्थायित्व	:	
26	. (क) प्रभावी ध्वनी तापमान		:
	(ख) थ्रेसहॉल्ड इनपुट स्तर		
27	. मध्यवर्ती आवृत्ति	:	

28. जोर मुक्ति	
29. चयनशीलता	
30. कोई अन्य विशिष्टयां	

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

(टिप्पण : प्रत्येक प्रकार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May 2025

G.S.R. 316 (E).— The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 3(3) and 4(6) read with clauses (b) and (h) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Use of Low Power and Very Low Power Wireless Access System including Radio Local Area Network in Lower 6 GHz band (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — These rules shall be applicable in the 5925 – 6425 MHz band.

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

(b) "Authority" means the authority notified by the Central Government.

(c) "access point" means a transceiver that operates either as a bridge in a peer-to-peer connection or as a connector between the wired and wireless segments of the network;

(d) "equivalent isotropic radiated power" or "e.i.r.p" means the total power that would have to be radiated by a hypothetical isotropic antenna to give the same signal strength as the actual source in the direction of the antennas strongest beam;

(e) "emission bandwidth" means the 26 dB bandwidth of the modulated signal measured relative to the maximum level of the modulated carrier;

(f) "maximum power spectral density" means the maximum power within the specified measurement bandwidth, within the device operating band; measurements in the 5925-6425 MHz band are made over a bandwidth of 1 MHz;

(g) "power spectral density" means the power spectral density is the total energy output per unit bandwidth from a pulse or sequence of pulses for which the transmit power is at its maximum level, divided by the total duration of the pulses and the total time does not include the time between pulses during which the transmit power is off or below its maximum level;

(h) "device" means the radiators operating in the frequency bands 5925-6425 MHz that use wideband digital modulation techniques and provide a wide array of high data rate in mobile and fixed communications for individuals, businesses, and institutions;

(i) "indoor operation" means that the transmitter is located inside premises which are wholly enclosed by walls that are non-transparent to radio waves, except for any doors, windows or passageways; and the premises have ceiling or roof, non-transparent to radio waves.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.

4. Exemption. — No Authorization or Frequency Assignment shall be required to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of Lower Power Indoor and Very Low Power outdoor wireless access systems, including radio local area networks operating in the frequency band 5925-6425 MHz on noninterference, non-protection and shared (nonexclusive) basis, and complying with the following technical parameters; namely:

Table

Low power indoor and Very Low Power Outdoor WAS/RLAN Access Points and devices

• •		1	Max. Emission Bandwidth	Out of band emissions (Max e.i.r.p density)
Low Power Indoor	5 dBm/MHz	30 dBm	320 MHz	-27 dBm/MHz
Very Low Power Outdoor	-5 dBm/MHz	14 dBm	320 MHz	-27 dBm/MHz

4.1 **Operational restrictions:**

- (i) All kinds of use are prohibited on Oil platforms
- (ii) Indoor use is prohibited on Land vehicles (e.g., cars, trains) and boats, aircrafts except when flying above 10,000 feet.
- (iii) Communication with and control of Drones and Unmanned Aerial Systems is prohibited.

5. Out of band emission Limits. —

(1) For transmitters operating within the 5.925-6.425 GHz band: Any emissions outside of the 5.925-6.425 GHz band must not exceed an e.i.r.p. of -27 dBm/MHz.

(2) For transmitters operating within the 5.925-6.425 GHz bands: Power spectral density must be suppressed by 20 dB at 1 MHz outside of channel edge, by 28 dB at one channel bandwidth from the channel center, and by 40 dB at one- and one-half times the channel bandwidth away from channel center. At frequencies between one megahertz outside an unlicensed device's channel edge and one channel bandwidth from the center of the channel, the limits must be linearly interpolated between 20 dB and 28 dB suppression, and at frequencies

between one and one- and one-half times an unlicensed device's channel bandwidth, the limits must be linearly interpolated between 28 dB and 40 dB suppression. Emissions removed from the channel center by more than one- and one-half times the channel bandwidth must be suppressed by at least 40 dB.

(3) The emission measurements shall be performed using a minimum resolution bandwidth of 1 MHz. A lower resolution bandwidth may be employed near the band edge, when necessary, provided the measured energy is integrated to show the total power over 1 MHz.

(4) When measuring the emission limits, the nominal carrier frequency shall be adjusted as close to the upper and lower frequency band edges as the design of the equipment permits.

6. Interference.— (1) The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person operating as per the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) or license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) which is valid pursuant to sub-section (6) of section 3 of the Act informs the Authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such Authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae, failing which such Authority shall recommend discontinuation of such wireless use.

(2) The Authority shall give a reasonable opportunity to the user of wireless equipment before making recommendation of discontinuation of wireless use under sub-rule (1) above.

7. Equipment. — (1) The wireless equipment will have in-built and integrated antenna and shall be type approved and designed and constructed in such a manner that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in rule 4 and 5. The application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the format given in Annexure.

(2) The safety related requirements shall be as per the International or National standards such as ITU/ETSI/ANSI/BIS/ICNIRP for the respective devices and frequency bands.

[F.No. 24-04/2025-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

ANNEXURE

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

(Refer sub-rule (1) of rule 7)

٠

Section-A- Applicant

- 1.Name of manufacturing agency applying:for equipment type approval
- 2. Postal Address of manufacturing Agency
- 3. Name and address of Indian agency : applying for the type approval.

:

4. Name of product and the product Identification (model number etc.,)

Section- B- Details of Transmitter

5.	Frequency range		:
6.	No. of preset switchable channels		:
7.	No. of voice /Data/ TV Channels (In case of multi- channel equipment)		:
8.	Tx-Rx channel separation (In case of Duplex/multi-channel equipment)	:	
9.	Adjacent channel separation (In case of multi-channel equipment)	:	
10.	Frequency stability		:
11.	Spurious/ Harmonic radiations	:	
	 i. Carrier suppression (In case of carrier suppressed systems) ii. Unwanted side band suppression (In case of SSB systems) iii. 2nd Harmonic radiations 		:
12.	iv. 3rd Harmonic radiationsMax. Frequency Deviation		:
13.	Mode of emission	:	
14.	Bandwidth of emission	:	
15.	Test Tone deviation		:
16.	Base band frequency (In case of multi-channel equipment)	:	
17.	Type of modulation to be required		:

18.	Pre-emphasis	:	
19.	Power output (At the input of antenna)		:
20.	Any other information		:
Section	n-C- Details of Receivers		
21.	Frequency range		:
22.	Mode of reception	:	
23.	Spurious response of receiver	:	
24.	Sensitivity	:	
25.	Frequency stability		:
26.	(a) Effective noise temperature	:	
	(b) Threshold input level	:	
27.	Intermediate frequency	:	
28.	De-emphasis	:	
29.	Selectivity	:	
30.	Any other particulars	:	

Signature of the applicant

Place : Date :

Date .

(Note : Separate application should be submitted for each type of equipment.)